न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री मनोज कुमार मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या 36/2023

उनवानी प्रार्थना पत्र :

निर्णय दिनांक :– 21.04.2025

सोजीलाल पुत्र स्व. रामकरण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थी–

बनाम

1. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. रामदेव पुत्र स्व. रामकरण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. रामनिवास पुत्र स्व. रामकरण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. दुर्गालाल पुत्र स्व. रामकरण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. प्रेम पुत्री स्व. रामकरण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. शांति पुत्री स्व. रामकरण जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी धांधोली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. मथुरालाल माता रामी जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सारदडा तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. काली माता रामी जाति बैरवा उम्र बालिग निवासी सारदड़ा हाल निवासी सेंदियावास तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थीगण–

उपस्थिति :–

श्री अजीत सिंह
अधिवक्ता प्रार्थीगण

पेरोकार सरकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवन्यू एक्ट बाबत् दुरुस्ती इन्द्राज

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण नं 2 ता 8 के दादा व नाना हरदेवा पुत्र कालू बैरवा की

21.4.25

खातेदारी एवं कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल खसरा नम्बर 641 रकबा 0.37 है0 वाके तनग्राम धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कर्मचारियो के द्वारा प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 2 ता 8 के दादा व नाना का नाम हरदेवा के स्थान पर गंगल्या दर्ज कर दिया है जो कि गलत है। अन्य राजस्व रिकार्ड एवं अन्य दस्तावेजो में हरदेवा ही दर्ज चला आ रहा है। प्रार्थी व अप्रार्थी नं. 2 ता 8 ने उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड से गंगल्या के स्थान पर हरदेवा का नाम दर्ज करवाने अप्रार्थी नं. 1 को व राजस्व शिविर में शिविर प्रभारी को कई बार प्रार्थना पत्र दिये है। लेकिन आज तक हरदेवा का नाम संशोधन नहीं किया गया है।

प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं 2 ता 8 दादा व नाना का नाम गलत दर्ज होने के कारण काफी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं 2 ता 8 कई सरकारी योजनाओ के लाभ से वंचित हो रहे है। इस कारण प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में गंगल्या के स्थान पर हरदेवा दर्ज किया जाना न्यायोचित आवश्यक है। अप्रार्थीगण नं. 2 ता 8 प्रार्थना पत्र मे वर्णित भूमि के सहखातेदार होने के कारण वाद में फोरमल पक्षकार बनाया गये है। इनके विरूद्ध प्रार्थी कोई अनुतोष नहीं चाहता है। वाद वर्णित आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार मे स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र में का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन हैं प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि हाल खसरा नम्बर 641 रकबा 0. 37है. वाके तनग्राम धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, में प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 2 ता 8 के दादा व नाना का नाम गंगल्या के स्थान पर हरदेवा दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करवाने के आदेश फरमावे।

अप्रार्थी की तलबी जारी की गई।

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 8 ने उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो इस प्रकार हैः– प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है।

21.4.25

प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 7 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। अत जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हाल खसरा नम्बर 641 रकबा 0.37 है0 वाके तनग्राम धांधोली तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है, में प्रार्थी व अप्रार्थीगण नं. 2 ता 8 के दादा व नाना का नाम गंगल्या के स्थान पर हरदेवा दर्ज करवाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त कर दिया जावे तो इसमें अप्रार्थीगण नं. 2 ता 8 को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अप्रार्थी तहसीलदार की ओर से जवाब पेश किया जो इस प्रकार है:— ग्राम धाँधोली के खसरा नंबर 641 रकबा 0.37 है0 रामकरण पुत्र गंगल्या हिस्सा 1/2 रामी पुत्र गंगल्या हिस्सा 1/2 जाति बैरवा दर्ज रिकार्ड है। पिता का नाम गंगल्या के स्थान पर हरदेवा दर्ज करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। उक्त हेतु हल्का पटवारी व भू.अ.नि. से रिपोर्ट अनुसार उपस्थित ग्रामवासियों ने बताया कि खसरा नंबर 641 रकबा 0.37 है0 भूमि का लगभग 40—50 वर्षो से रामकरण पुत्र हरदेवा एवं उसके वारिसान का कब्जा रहा है। रामकरण पुत्र गंगल्या नाम का कोई व्यक्ति नहीं है। रामकरण पुत्र हदेवा जाति बैरवा नाम का ही व्यक्ति है। उक्त खसरा नंबर पर भी मौके पर वर्तमान में रामकरण के वारिसान रामदेव पुत्र रामकरण जाति वैरवा का ही कब्जा काश्त है मौके पर उपस्थित ग्रामवासियों ने रामकरण एवं रामी की मृत्यु होना बताया, उक्त भूमि पर विवाद होना नहीं बताया है। ग्राम धाँधोली में रामकरण पुत्र हरदेवा बैरवा नाम का ही व्यक्ति निवास करता था तथा उक्त अराजी 641 पर भी कब्जा काश्त रामकरण एवं उनके वारिसान का ही है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को ही दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 ने अपने जवाब में प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमावे।

पेरोकार सरकार, ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ख. नं. 641 रकबा 0.37 है0 वाके तनग्राम धांधोली साबिक ख. नं. 496 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से बना है। जमाबन्दी सम्वत 2033—36

sd/- 21.4.25

में साबिक ख. नं. 496 के खातेदार श्री किशना वल्द गोदू व रामकरण रामी पि. गंगल्या जाति चमार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। भू–प्रबन्ध के खसरा पत्रक सम्वत 2039 में साबिक ख. नं. 496 में श्री किशन पुत्र गोदू रामकरण रामी पि. गंगल्या दर्ज है। अर्थात सेटलमेंट से पूर्व भी विवादित आराजी के साबिक ख. नं. 496 में गंगल्या नाम दर्ज रिकॉर्ड था जो सेटलमेंट के बाद की जमाबन्दी में लगातार चला आ रहा है। अर्थात सेटलमेंट द्वारा कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं की गई। अतः सेटलमेंट द्वारा कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं करने से प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार राजस्व रिकॉर्ड ग्राम धांधोली जमाबन्दी सम्वत 2074–74 के खाता संख्या 135 में प्रार्थीगण के दादा/नाना का नाम गंगल्या दर्ज रिकॉर्ड है जिसको प्रार्थी गंगल्या के स्थान पर हरदेवा शुद्ध करवाना चाहता है।

अपने प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी ने जमाबन्दी सम्वत 2070–73 खाता संख्या 131 व 130 में रामकरण के पिता का नाम हरदेवा दर्ज रिकॉर्ड है। पर्चा चकबंदी सेटिलमेंट डिपार्टमेंट बन्दोबस्त सम्वत 2010 से 2021 में श्री किशन वल्द गोदू हरदेवा वल्द कालू कोम चमार सा. देह गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड है। जमाबन्दी सम्वत 2033–36 में साबिक ख. नं. 496 के खातेदार श्री किशना वल्द गोदू व रामकरण रामी पि. गंगल्या जाति चमार सा. देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। मिलान क्षैत्रफल सम्वत 2046–65 के अनुसार विवादित आराजी ख. नं. 641 रकबा 0.37 है0 वाके तनग्राम धांधोली साबिक ख. नं. 496 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा से बना है। भू–प्रबन्ध के खसरा पत्रक सम्वत 2039 में साबिक ख. नं. 496 में श्री किशन पुत्र गोदू रामकरण रामी पि. गंगल्या दर्ज है। भू–प्रबन्ध विभाग की अन्य, जमाबन्दी सम्वत 2046–54 में रामकरण व रामी पिता गंगल्या कोम बैरवा सा. देह खातेदार के नाम ख. नं. 641 दर्ज है।

उक्तानुसार दस्तावेजो के विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि सेटलमेंट से पूर्व भी विवादित आराजी में प्रार्थीगण के दादा/नाना का नाम गंगल्या ही था और सेटलमेंट के बाद बने राजस्व रिकॉर्ड में भी गंगल्या ही चला आ रहा है। अर्थात सेटलमेंट द्वारा प्रार्थीगण के दादा/नाना के नाम में किसी भी प्रकार की

21.4.25

Scanned with OKEN Scanner

त्रुटि नहीं की गई है। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर . एक्ट के तहत पेश किया जिसमें केवल सेटलमेंट के दौरान हुई लिपिकीय त्रुटियों को ही शुद्ध किया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा 136 एल. आर. एक्ट के प्रावधानो से परे होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज योग्य होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांक 21.04.2025 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली

Scanned with OKEN Scanner